

कुशीनगर में कार पेड़ से टकराई हादसे में छह लोगों की मौत, दो घायल

कुशीनगर, 21 अप्रैल (जनसत्ता)।

जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में एक कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना रविवार देर रात नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के शुक्ल भुजौली चौराहे पर उस समय हुई जब कार सवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए देवगांव जा रहे थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया तथा दो अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान नारायणपुर चरगाहा के निवासी हरेंद्र मधेशिया, योगेंद्र मधेशिया, रंजीत एवं मुकुेश और कुसमा गांव निवासी भीम लक्ष्मण यादव तथा कार चालक ओम प्रकाश के रूप की गई है। हादसे का शिकार हुए सभी लोगों की उम्र 25 से 40 वर्ष के बीच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घातकों का शीघ्र एवं पर्याप्त उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

बिहार : शादी समारोह में हिंसक झड़प, गोलीबारी में दो की मौत

आरा, 21 अप्रैल (भाषा)।

बिहार के भोजपुर जिले में एक शादी समारोह में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के हिंसक हो जाने के बाद दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे गड़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में हुई।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि एक शादी समारोह में वाहनों की पार्किंग को लेकर दो समूहों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चला दीं। पुलिस ने बताया, एक व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान ललकृष्ण और राहुल के रूप में हुई है।

केरल : घर में आग लगकर की आत्महत्या

कोल्लम, 21 अप्रैल (भाषा)।

दक्षिण केरल में कोल्लम जिले के अंचल में एक व्यक्ति ने अपने घर में आग लगा दी और फिर फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान, अलचेरी निवासी 56 वर्षीय विनोद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि विनोद का रविवार रात को अपनी पत्नी और अन्य परिवारों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने गैस सिलेंडर चालू कर घर में आग लगा ली। विनोद के परिवार के सदस्य किसी तरह बच निकलने में सफल रहे।

बस और ट्रक में टक्कर, दो की मौत

वडोदरा, 21 अप्रैल (भाषा)।

गुजरात के वडोदरा में सोमवार तड़के एक निजी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो जाने से दो लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

हरनी पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना वडोदरा के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तड़के करीब साढ़े तीन बजे हुई। उन्होंने बताया कि बस रात करीब 11 बजे सूरत से रवाना हुई थी।

निशिकांत, अग्निमित्रा पर अवमानना कार्रवाई के लिए अर्चना जन्मल की मंजूरी मांगी गई

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (ब्यूरो)।

अर्चना जन्मल आर वेंकटरमणी से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी विधायक अग्निमित्रा पाल के खिलाफ न्यायपालिका पर हमले के लिए अदालत को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने को लेकर एक वकील ने सोमवार को मंजूरी मांगी।

एक पत्र में अधिवक्ता बृजेश सिंह ने कहा कि दोनों ने 'जानबूझकर मीडिया एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के खिलाफ संरामा निंदनीय, झूठे और अपमानजनक बयान दिए' और इसकी गरिमा को तथा न्यायपालिका में आम आदमी की 'गहरी आस्था' को चोट पहुंचाई। पत्र में कहा गया है कि दोनों व्यक्ति जगप्रतिनिधि हैं।

निशिकांत दुबे झारखंड से सांसद हैं और अग्निमित्रा पाल भी पश्चिम बंगाल विधानसभा की निर्वाचित सदस्य हैं। दोनों ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। यह अत्यंत निंदनीय है कि न्यायपालिका को इस तरह से निशाना बनाया गया।

केनरा बैंक Canara Bank **क्षेत्रीय कार्यालय: गाजियाबाद**

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

एन वेंकटरमणी, अर्चना शास्त्री/प्रतिभूतिकरण का प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के प्रवर्तन के तहत नोटिस जारी किया गया।

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया।

वितीय संघर्ष और सुझाव आजीवनिक 2002 का प्रवर्तन।

THIS IS PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURE AND REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

ANLON HEALTHCARE LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Anlon Ventures Private Limited', a private limited company under the erstwhile Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated November 19, 2013 issued by the RoC. The name of our Company was changed from 'Anlon Ventures Private Limited' to 'Anlon Healthcare Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated May 27, 2015 was issued by the RoC. Our Company was subsequently converted to a public limited company and the name of our Company was changed from 'Anlon Healthcare Private Limited' to 'Anlon Healthcare Limited' and a fresh certificate of incorporation dated September 02, 2024, was issued by the RoC.

Corporate Identity Number: U24230GJ2013PLC077543

Registered Office: 101/102, Silvercoin Complex, Opp. Crystal Mall, Kalawad Road Rajkot - 360 005, Gujarat, India

Contact Person: Amita Chhaganbhai Pragada, Company Secretary and Compliance Officer;

Tel: +91 281 2562538/39; E-mail: cs@anlonco.com; Website: www.anlon.in

OUR PROMOTERS: PUNITKUMAR R. RASADIA, MEET ATULKUMAR VACHANI AND MAMATA PUNITKUMAR RASADIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,40,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ANLON HEALTHCARE LIMITED ("OUR COMPANY") OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹1/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹1/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹1/- LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [] % OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK BUILDING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [] (A WIDELY CIRCULATED GUJARATI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 (TWO) WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE, AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least 3 (three) additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, may for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of 3 (three) Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made for at least 25% of the post-issue paid-up Equity Share capital of our Company. The Issue is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein at least 75% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") and such portion, the "QIB Portion", provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary basis as decided by our Company in consultation with the BRLM. In accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"). In the event of undersubscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. If at least 75% of the Issue cannot be Allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not more than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders ("NIBs") of which (a) one-third portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹20.00 Lakhs and up to ₹10.00 Lakhs; and (b) two-thirds portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹10.00 Lakhs, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further not more than 10% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIB") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID (defined hereinafter) in case of UPI Bidders (defined hereinafter), as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Bank/ under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA Process. For further details, see "Issue Procedure" on page 334.

This public announcement is being made in compliance with the provision of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake initial public offering of its Equity Shares pursuant to the offer and DRHP which has been filed with the SEBI on December 27, 2024.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with the SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and the website of the Company at www.anlon.in and at the website of BRLM i.e. Interactive Financial Services Limited at www.ifinservices.in. Our Company hereby invites the members of the public to give their comments on the DRHP filed with the SEBI with respect to disclosures made in DRHP. The members of the public are requested to send a copy of their comments to SEBI, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by SEBI, and/or our Company and/or Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM in relation to the offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 32.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the Red Herring Prospectus (RHP) has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in RHP from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the main board of the Stock Exchanges.

For details of the main objects of our Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 227. The liability of the members of our Company is limited. For details of the share capital, capital structure of our Company, the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them of our Company, please see "Capital Structure" beginning on page 90.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER		REGISTRAR TO THE ISSUE	
<p>Interactive Financial Services Limited Office No. 508, Fifth Floor Priviera, Nehru Nagar Ahmedabad-380015, Gujarat, India Tel: +91 079-4908 8019 / +91 98980 55647 Email: mbd@ifinservices.in Investor Grievance Email: info@ifinservices.in Website: www.ifinservices.in Contact Person: Jaijn Jain SEBI Registration No: INM000012856</p>		<p>KFin Technologies Limited Selenium, Tower-B, Plot No- 31 and 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032, Telangana, India Telephone: +91 40 6716 2222 / 1800 309 4001 Email: ahil_jpo@kfinotech.com Investor grievance email: enward_ris@kfinotech.com Contact person: M Murali Krishna Website: www.kfinotech.com SEBI Registration no.: INF000000221</p>	
All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.			

ANLON HEALTHCARE LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Amita Chhaganbhai Prag